

STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

High Court Premises, Jabalpur - 482007 (M.P.)

HIGH POWERED ELECTION COMMITTEE



Justice Sushil Kumar Palo (Former Judge)
Returning Officer
Mob.: 9425006060, 6261311871

Email: sec.hpec@gmail.com
Website: www.sbcofmp.org
Tele.: 0761-4700083

एस.बी.सी./एम.पी./अधीक्षक/चुनाव 2026/ज्ञापन क्रं-01/2026/21 दिनांक-18.03.2026

ज्ञापन

श्रीमान अध्यक्ष/सचिव

समस्त उच्च न्यायालय/जिला/तहसील अधिवक्ता संघ
मध्यप्रदेश।

विषय:-मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन 2026 की प्रारंभिक मतदाता सूची हेतु प्रेषित दावे एवं आपत्तियों के संबंध में।

समस्त अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष/सचिव को इस आशय का ज्ञापन जारी किया जाता है, कि उनके द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन 2026 के अंतर्गत जारी की गई प्रारंभिक मतदाता सूची के संबंध में, जो दावे एवं आपत्तियां परिषद के कार्यालय को प्रेषित की जा रही हैं, के संबंध में संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव को दावे एवं आपत्तियों के साथ में इस आशय का घोषणा पत्र संघ के लेटरहेड में प्रेषित किया जाना आवश्यक है, कि उनके द्वारा अधिवक्ताओं के दावे एवं आपत्तियों की जो सूची भेजी जा रही है, वो संबंधित अधिवक्ता के आवेदन पर ही परिषद कार्यालय में प्रेषित की गई है और यदि भविष्य में किसी अधिवक्ता के द्वारा इस संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति की जाती है, तो संबंधित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी दायित्वाधीन होंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के वर्तमान सदस्यों के द्वारा दावे एवं आपत्तियों की जो सूची परिषद कार्यालय को प्रेषित की जा रही है उन्हें केवल अधिवक्ता संघों के माध्यम से ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा उनके द्वारा प्रेषित दावे एवं आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद कार्यालय में हाई पावर समिति के ई-मेल एवं डाक के माध्यम से दिनांक 24.03.2026 समय 4:00 बजे के बाद प्रेषित दावे एवं आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

S.K. Palo
18.03.2026
न्यायामूर्ति एस.के.पालो(पूर्व न्यायाधीश)
निर्वाचन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद
न्यायामूर्ति एस.के.पालो (पूर्व न्यायाधीश)
निर्वाचन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद